संख्या-15/2024/38-6099(99)/28/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य् विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊ:दिनांक: 01 अक्टूबर, 2024

विषय:- महिला सामर्थ्य योजना अंतर्गत दुग्ध मूल्य श्रृंखला विकास प्रोड्यूसर कंपनियों के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-2371/4248/एम0एस0वाई0/2024-25 दिनांक: 30.08.2024 एवं 1744/4248/एम0एस0वाई0/2024-25 दिनांक: 22.07.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनराशि रुपए 11221.00 लाख (रू0 एक अरब बारह करोड इक्कीस लाख मात्र) का बजट प्राविधान किया गया है। योजना शत प्रतिशत राज्य पोषित योजना है। मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा महिला सामर्थ्य योजना अंतर्गत दुग्ध मूल्य श्रृंखला विकास प्रोड्यूसर कंपनियों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनराशि रुपए 5610.5 लाख (छप्पन करोड दस लाख पचास हजार रू0) निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में से उक्त परियोजना हेतु धनराशि रुपए 5610.5 लाख (रू0 छप्पन करोड दस लाख पचास हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य् विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

3. धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

4. धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

5. स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्यस विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/ बी-1-294/ दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/ अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

12. यूपीएसआरएलएम की झाँसी की बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड डेयरी सर्विसेज के साथ संचालित है, उसी तर्ज पर अन्य उत्पादों के लिए भी प्रोड्यूसर कम्पनीज स्थापित करते हुए कार्य किया जायेगा। यह टिप्पणी मुख्यतः मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी के उदाहरण पर आधारित है, परन्तु इसी तरह का कार्य किसी भी उत्पाद के लिए किया जाना है।

13. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा बनाये जा रहे प्रोडक्ट के लिए वैल्यू श्रृंखला के विकास में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के साथ कन्वर्जन किया जायेगा।

14. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (NDS) जो की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड(NDDB) की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली आनुषंगिक संस्था है, को दीनदयाल अन्त्योदय योजना डे-एनआरएलएम सपोर्ट संगठन (DNSO) के रूप में चिन्हित किया है। इसी क्रम में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में केवल महिला सदस्यों के स्वामित्व वाली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनिया स्थापित करने में सहायता कर रही हैं।

15. महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां एवं महिलाओं द्वारा तैयार किये जा रहे अन्य उत्पादों के लिए प्रोड्यूसर कंपनियां

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गठित कर कार्यवाही कराना, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (NDS) के साथ महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी गठित करने के लिए अनुबंध करना एवं इस योजना के अंतर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से ही की जायेगी।

16. परियोजना के लिए संभावित घटकवार व्यय का उल्लेख परियोजना दस्तावेज में किया जायेगा। वित्त पोषण के लिए डेयरी वैल्यू श्रृंखला विकास परियोजनाओं के तहत परिकल्पित प्रमुख लागत घटक है। मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी को वित्तीय सहायता अधिकतम 03 वर्षों की अवधि के लिये होगी।

17. आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना के तहत वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित गतिविधियों को अन्य स्रोतों/कार्यक्रमों के माध्यम से वित्त पोषित न किया जाए। परियोजना शासनादेश संख्या-467/38-6-21-467एलसी/2021 दिनांक 29-10-2021 के अनुपालन के अनुसार होगा।

18. दिशानिर्देश (Guidelines) के अनुसार, मानव संसाधन और प्रशासनिक लागत प्रोड्यूसर कंपनी को कुल वित्तपोषण सहायता के 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

19. परियोजना का वित्तीय लेखा परीक्षा एसआरएलएम के चार्टेड एकाउंटेंट या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। ऑडिट रिपोर्ट लेखा परीक्षक की टिप्पणियों और परियोजना के तहत भौतिक प्रगति पर की गई कार्रवाई के साथ राज्यांश शेयर की तीसरी किस्त जारी करने के समय प्रस्तुत की जायेगी।

20. स्वीकृत परियोजना की निगरानी और आवधिक समीक्षा के लिए यूपीएसआरएलएम राज्य स्तर पर एक समिति का गठन करेगा, जिसकी अध्यक्षता मिशन निदेशक, यू0पी0 एसआरएलएम करेंगे। राज्य समिति में संयुक्त मिशन निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक, वित्त, राज्य परियोजना प्रबन्धक, आजीविका एवं एन0डी0एस0 के सदस्य होंगे। एमओआरडी के प्रतिनिधियों को त्रैमासिक समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।

21. वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष धनराशि का उपभोग कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में किये जाने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र मिशन निदेशक, यू0पी0एस0आर0एल0एम0 द्वारा शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 56,10,50,000 (रुपये छप्पन करोड़ दस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 2515001020500 महिला सामर्थ्य योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार/मुख्य/ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
6- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।